



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022020-216227  
CG-DL-E-18022020-216227

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

विनियम

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

मुख्यालय—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) की धारा (ग) के साथ पठित खण्ड 10 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (भर्ती) विनियम, 2003 तथा राअशिप आशुलिपिक पदक्रम 'ग' भर्ती नियमावली, 2008 का उन्मूलन करते हुए सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे उन्मूलन से पूर्व कर लिए गए थे अथवा किए जाने से रह गए थे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्न विनियम बनाती है, यथा

1- ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (भर्ती) विनियम, 2020 कहलाएंगे।

ये विनियम उनके सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतनमान में उनका स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से कालम (4) तक में यथानिर्दिष्ट होंगे।

3- उपर्युक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य विषय उक्त अनुसूची के कालम 5 से लेकर कालम 13 में यथानिर्दिष्ट होंगे।

4-

(i) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जीवन-साथी जीवित है विवाह कर लिया है अथवा विवाह का करार कर लिया है;

(ii) जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा करने का करार कर लिया है।

उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस बारे में संतुष्ट है कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रावधान से छूट दे सकती है।

5- जब अध्यक्ष की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह पदों अथवा व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के प्रावधानों में ढील दे सकती है और ढील देने के कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किया जाएगा।

6- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व-सैनिकों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयुसीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7- इन विनियमों के निर्वर्चन से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

इस विनियमों के अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विभ्रान्ति की दशा में अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम होगा।

### उपसचिव/क्षेत्रीय निदेशक ds in ds fy, Hkrh' ds fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
1. उपसचिव/ क्षेत्रीय निदेशक	7* (2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'क' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु.78800- 209200) में स्तर 12	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	60% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वेतनमान (रु. 67700-208700) के स्तर 11 में ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी	पदोन्नति पर विचार करने के लिए निम्न अधिकारियों सहित समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति 1. सदस्य सचिव,	लागू नहीं

		<p>टिप्पणी: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक निकायों, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों;</p> <p>अथवा</p> <p>जो (रु. 67700-208700) के वेतनमान में यूजीसी वेतनमान-स्तर 11 में नियमित आधार पर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हों</p> <p>अथवा</p> <p>जिन्होंने मूल संवर्ग के (रु. 67700-208700) (अथवा समतुल्य) वेतनमान के स्तर-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो</p> <p>तथा</p> <p>(ख) जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों</p> <p>(i) प्रशासन अथवा शैक्षिक प्रशासन अथवा वित्त अथवा कानूनी मामलों में दो वर्षों का अनुभव</p> <p>तथा</p> <p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसेकि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रानिक संसाधनों का प्रयोग</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के</p>	<p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद – अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – सदस्य</p> <p>3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नामित किए जाने वाला निदेशक स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ</p>	
--	--	--	--	--

		लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	---	--	--

voj l fpo@vuq vkku vf/kdkjh ds i n ds fy, Hkrhlz fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
2. अवर सचिव/ अनुसंधान अधिकारी	14 *(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'क' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 67700-208700) में स्तर 11	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष	85% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 15% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>पदोन्नति:</p> <p>ऐसे अनुभाग अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी तथा निजी सचिव जिन्होंने वेतनमान (रु. 44900-142400) में स्तर 7 पर सात वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए वरिष्ठता अथवा पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा की समाप्ति की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने (रु. 56100-177500) के वेतनमान के स्तर 10 में 5 वर्षों तक सहायक प्रोफेसर के पद पर काम किया है।</p> <p>अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग (रु.56100-177500) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो;</p> <p>अथवा</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग में (रु. 47600-151100) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 10</p>	<p>निम्न अधिकारियों सहित समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद – अध्यक्ष</li> <li>2. उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – सदस्य</li> <li>3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नामित किए जाने वाला उप सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ</li> </ol>	लागू नहीं

		<p>के स्केल में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।</p> <p>तथा</p> <p>(ख) जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों—</p> <p>(i) प्रशासन अथवा शैक्षिक प्रशासन अथवा वित्त अथवा कानूनी मामलों में दो वर्षों का अनुभव</p> <p>तथा</p> <p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसेकि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

वृत्तिका वर्ग/कक्षा/दर; वे वर्ग/कक्षा/दर में नियुक्ति, कक्षा/दर; ए

1	2	3	4	5	6	7	8
3. अनुभाग अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी	12*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 44900— 142400) में स्तर 7	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	<p>(i) 50% पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>(ii) 50% सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>पदोन्नति:</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे सहायक जिन्होंने (रु. 35400—112400) के वेतनमान में स्तर 6 पर इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।</p> <p>टिप्पणी: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में</p>	<p>निम्न अधिकारियों सहित समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — अध्यक्ष</p> <p>(2) उपसचिव (स्थापना/प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — सदस्य</p> <p>(3) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव तथा उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ</p> <p>(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में अवर सचिव</p>	लागू नहीं।

		<p>(रु. 35400-112400) के वेतनमान के स्तर 6 में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, (रु. 35400-112400) के वेतनमान के स्तर 6 में आशुलिपिक ग्रेड 'ग' तथा (रु. 35400-112400) के वेतनमान में स्तर 6 में कार्यरत तकनीकी सहायकों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों—</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग में ग्रेड में (रु. 35400-112400) अथवा समतुल्य वेतमान में स्तर 6 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों</p> <p>(i) प्रशासन अथवा शैक्षिक प्रशासन अथवा वित्त अथवा कानूनी मामलों में दो वर्षों का अनुभव</p> <p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	(स्थापना/प्रशासन) – सदस्य
--	--	---	---------------------------

futh l fpo ds in ds fy, Hkrhl fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
4. निजी सचिव	3*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 44900- 142400) में स्तर 7	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>ग्रेड 'ग' के ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने (रु.35400-112400) के वेतनमान में स्तर-6 पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 1: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने (रु. 35400-112400) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 6 में नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो</p> <p>तथा</p> <p>(ख) जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों</p> <p>(i) अंग्रेजी अथवा हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों</p> <p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसेकि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रानिक संसाधनों का ज्ञान</p> <p>टिप्पणी 1 : संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 : इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(2) उपसचिव (स्थापना/प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ - सदस्य</p> <p>(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में अवर सचिव (स्थापना/प्रशासन) - सदस्य</p>	लागू नहीं
-----------	---	---	--	-----------

यस [kk vf/kdkjh ds in ds fy, Hkrhlz fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
5. लेखा अधिकारी	1 *(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु.44900— 142400) में स्तर 7	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा	<p>पदोन्नति द्वारा: (रु. 35400—112400) के वेतनमान में स्तर-6 पर ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ लेखा अधिकारी</p> <p>टिप्पणी: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा: केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों— अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में (रु. 35400—112400) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 6 पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी ली हो</p> <p>(ख) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा समतुल्य में रोकड़ तथा लेखा कार्य में प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्ति की हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पणी 1: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद – अध्यक्ष</p> <p>(2) उपसचिव (स्थापना/प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद – सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ – सदस्य</p> <p>(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अवर सचिव – सदस्य</p>	लागू नहीं





i d r d k y ; k / ; { k , o a i y s [ k u r f k k i k M D s k u v f / k d k j h d s i n d s f y , H k r h z f o f u ; e

1	2	3	4	5	6	7	8
7. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रलेखन तथा प्राडक्शन अधिकारी	1*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 44900- 142400) में स्तर 7	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री (ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा (iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसेकि डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के लिए पुस्तकालय साफ्टवेयर संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन	लागू नहीं

						इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रयोग का ज्ञान (iv) प्रलेखन की आधुनिक और परिष्कृत विधियों का ज्ञान	
--	--	--	--	--	--	---	--

9	10	11	12	13
सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने (रु. 35400-112400) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 6 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में (रु.29200-92300) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 5 पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; तथा (ख) सीधी भर्ती के लिए कालम (7) में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी। टिप्पणी 1: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष 2. उपसचिव (स्थापना/प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ - सदस्य 4. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं।

dfu"B ys[kk vf/kdkjh ds i n ds fy, HkrhZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
8. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 35400-112400) में स्तर 6	लागू नहीं	अधिक से अधिक 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय में रोकड़,	लागू नहीं

					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और वह अंतिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का पंगी उप-प्रभाग, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई है)	लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	
--	--	--	--	--	---	--	--

9	10	11	12	13
सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा: टिप्पणी: पदधारक के प्रतिनियुक्ति अथवा दीर्घ बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं। (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों (ii) जिन्होंने रु.25500-81100 के वेतनमान में स्तर-4 के पदों पर दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा (ख) जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।	लागू नहीं	निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (स्थापना/प्रशासन) - अध्यक्ष (2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ - सदस्य (3) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं

I gk; d ds i n ds fy, HkrhZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
9. सहायक	8 (2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 35400-112400) में स्तर 6	चयन	20 तथा 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।	नहीं

9	10	11	12	13
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा 33% जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 67% सीधी भर्ती द्वारा	<p>पदोन्नति द्वारा:</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में ऐसे कनिष्ठ लेखाकार/उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में (रु.25500-81100) के वेतनमान में स्तर 4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों—</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने नियुक्ति के बाद (रु. 29200-92300) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 5 में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो</p> <p>अथवा</p> <p>(iii) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद (रु.25500-81100) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 4 के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए कालम (7) में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी।</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य</p> <p>(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला एक अधिकारी - सदस्य</p> <p>(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य</p> <p>निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य</p> <p>(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं

rduhdh l gk; d ds in ds fy, HkrhZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
10. तकनीकी सहायक	1*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 35400- 112400) में स्तर 6	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	मिश्रित विधि प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों;</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग में (रु. 29200-92300) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 5 पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद (रु.25500-81100) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 4 के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो;</p> <p style="text-align: center;">तथा</p> <p>(ख) निम्न अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी :</p> <p>(i) इलेक्ट्रानिक्स तथा कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन (डीओईएसीसी) से बीसीए अथवा समतुल्य प्रमाण-पत्र</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से हार्डवेयर तथा कंप्यूटर प्रणाली में लघु मरम्मतों के कौशल का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के साथ-साथ (रु. 25520-81100) के वेतनमान में स्तर 4 में ग्रेड 'ए' में पांच वर्षों की नियमित सेवा तथा अर्हताओं से युक्त विभागीय डाटा एंट्री आपरेटर पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं

vk' kfyfi d xM ^x\* ds i n ds fy, HkrhZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
11. आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	12*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 35400— 112400) में स्तर 6	चयन	18 तथा 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य अर्हता (ii) अंग्रेजी अथवा हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति	आयु: नहीं अर्हता: हां

9	10	11	12	13
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा 50% जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 50% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा: ग्रेड 'घ' के ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने (रु. 25500—81100) के वेतनमान में स्तर-4 पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद (रु.29200—92300) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 5 के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद (रु.25500—81100) अथवा समतुल्य वेतनमान में स्तर 4 के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; तथा (ख) (i) सीधी भर्ती के लिए कालम (7) में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी;	निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) (1) उपसचिव (ए), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — अध्यक्ष (2) अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — सदस्य (3) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) —सदस्य (4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी — सदस्य  निम्न से युक्त समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) उपसचिव (ए), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — अध्यक्ष (2) अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — सदस्य (3) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) —सदस्य (4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं

		<p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसेकि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग।</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

vk' kfyfi d xM 'k' ds i n ds fy, HkrhZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
12. आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	06*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 25500- 81100) में स्तर 4	लागू नहीं	18 तथा 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य अर्हता (ii) अंग्रेजी अथवा हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी: पदधारक के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं: (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद	लागू नहीं	निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष (2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) - सदस्य (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं



	पर कार्यरत हों; (ii) जिन्होंने (रु. 19900-63200) के वेतनमान में स्तर-2 के पदों पर आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा (ख) जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।			
--	---	--	--	--

MkVk , \h vki j\j xM ^, \* ds i n ds fy, Hkrt\z fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
13. डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'ए'	1*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 25500-81100) में स्तर 4	लागू नहीं	18 तथा 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिलनीय)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य अर्हता (ii) डाटा एंट्री कार्य में प्रति घंटे कम से कम 15000 की डिप्रेशन की गति	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती: टिप्पणी: पदधारक के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं : (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने (रु. 19900-63200) के वेतनमान में स्तर-2 के पदों पर आठ वर्ष की	लागू नहीं	निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष (2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) - सदस्य (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

	नियमित सेवा पूरी की हो तथा (ख) जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।			
--	---	--	--	--

dfu"B ys[kkdkj@mPp Js kh fyfi d ds i n ds fy, Hkrtz fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
14. कनिष्ठ लेखाकार/ उच्च श्रेणी लिपिक	5*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 25500-81100) में स्तर 4	गैर-चयनात्मक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>पदोन्नति द्वारा:</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में ग्रेड में (रु. 19900-63200) के वेतनमान में स्तर 2 पर आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिक</p> <p>टिप्पणी 1: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या अन्य संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने (रु.19900-63200) अथवा समतुल्य के वेतनमान में स्तर 2 में नियमित आधार पर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो</p> <p>तथा</p> <p>(ख) जो निम्न अर्हताएं रखते हों;</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास</p> <p>(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसेकि डाटाबेस प्रबंध संभालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग</p> <p>टिप्पणी 1: संभरक श्रेणी में ऐसे विभागीय</p>	<p>निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य</p> <p>(3) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उप सचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं

		<p>अधिकारी जो सीधी पदोन्नति के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के वास्ते विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

voj Js kh fyfi d ds i n ds fy, Hkrhlf ofofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
15. अवर श्रेणी लिपिक	12*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	वेतनमान (रु.19900-63200) में स्तर 2	गैर-चयनात्मक	18 तथा 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर 10500 केडीपीएच/5000 केडीपीएच के अनुरूप हैं) (iii) कंप्यूटर पर काम करने की समझ	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां

9	10	11	12	13
सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 66.67% पदोन्नति द्वारा 33.33% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>पदोन्नति द्वारा: सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में ग्रेड में (रु. 18000-56900) के वेतनमान में स्तर 1 पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाला बहुद्देशीय स्टाफ</p> <p>टिप्पणी 1: जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर पदक्रम में पदोन्नति के लिए, अपने कनिष्ठों</p>	<p>निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>(1) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) - सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं

		सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद – अध्यक्ष (2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) – सदस्य (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी – सदस्य
--	--	---	---

LVkQ dkj Mkboj ds i n ds fy, Hkrtz fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
16. स्टाफ कार ड्राइवर	3*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 19900-63200) में स्तर 2	लागू नहीं	18 तथा 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और वह अंतिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का पंगी उप-प्रभाग, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई है)	अनिवार्य: (1) 10वीं परीक्षा पास (2) मोटरकार चलाने के लिए वैध चालन लाइसेंस का धारक (3) मोटर की मरम्मत की जानकारी (अभ्यर्थी को वाहनों में मामूली गड़बड़ी दूर करने में सक्षम होना चाहिए) (4) मोटरकार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी: पदधारक के प्रतिनियुक्ति अथवा दीर्घ बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं। (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों (ii) जिन्होंने रु.18000-56900 के वेतनमान में स्तर-1 के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा (ख) जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।	लागू नहीं	निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष (2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) - सदस्य (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

cgq dk; :dkjh LVkQ ds i n ds fy, HkrtZ fofu; e

1	2	3	4	5	6	7	8
17. बहु कार्यकारी स्टाफ	26*(2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	वेतनमान (रु. 18000-56900) में स्तर 1	लागू नहीं	18 तथा 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और वह यह अंतिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का पंगी उप-प्रभाग, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई है)	अनिवार्य: मैट्रिक अथवा आईटीआई पास	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी: पदधारक के प्रतिनियुक्ति अथवा दीर्घ बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा	लागू नहीं	निम्न से युक्त समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन),	लागू नहीं

	<p>अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं।</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों</p> <p>(ख) जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।</p>		<p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद — अध्यक्ष</p> <p>(2) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) — सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाले अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी — सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./460/19]

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

**No. F. NCTE-Estt015/10/2017-Esst Section-HQ.**—In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 10 read with clause (c) of sub - section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 and in supersession of National Council for Teacher Education (Recruitment) Regulations, 2003; and NCTE, Stenographer Grade 'C' Recruitment Rule 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, with the approval of the Central Government, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement:- (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recruitment) Regulations, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification, level in the pay matrix :- The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc :- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification :- (i) No person, who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the National Council for Teacher Education may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5 Powers to relax:- When the National Council for Teacher Education upon a recommendation made by the Chairperson of the Council to that effect, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of posts or persons.

6 Saving:- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation in age-limit and other concessions for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Persons with Disability, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

7 Interpretations:- Decision of the Chairperson, National Council for Teacher Education shall be final in relation to interpretation of these regulations.

**Note :** In case of any ambiguity or confusion in translation of Hindi version, the English version shall be final.

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY SECRETARY/REGIONAL DIRECTOR**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection-post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Deputy Secretary / Regional Director.	7* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level – 12 in the pay matrix (Rs. 78800 - 209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	60% by promotion failing which by deputation; 40% by deputation.	Promotion: Under Secretary / Research Officer in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-  1. Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member; 3. One expert of the level of Director and above serving or retired to be nominated by the Chairperson, National Council for Teacher Education – Member.	Not applicable .

		<p>Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>holding the post of Associate Professor on regular basis in UGC Scales -Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700);</p> <p>or</p> <p>holding posts in Level – 11 of the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent on regular basis in the parent cadre for five years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p>and</p> <p>(b) Possessing;</p> <p>(i) two years experience in administration or educational administration or finance or legal matters;</p> <p>and</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of database management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--



**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF UNDER SECRETARY / RESEARCH OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Under Secretary/ Research Officer.	14* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for promotees.	85% by promotion failing which by deputation; 15% by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Section Officer / Programme officer and Private Secretary having with seven years of regular service in Level -7 in Pay Matrix(Rs. 44900-142400).</p> <p>Note 1. The seniority or eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in their respective grade or post.</p> <p>Note 2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) holding the post of Assistant Professor on regular basis in UGC Scale in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) for five years;</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One expert of the level of Deputy Secretary and above serving or retired to be nominated by the Chairperson, National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.

		<p>or</p> <p>(iii) holding posts in Level – 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent on regular basis in the parent cadre for five years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p>or</p> <p>(iv) holding posts in Level – 08 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent on regular basis in the parent cadre for seven years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p>and</p> <p>(b) Possessing:</p> <p>(i) two years experience in administration or educational administration or finance or legal matters;</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of data – base management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SECTION OFFICER / PROGRAMME OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Section Officer / Programme Officer.	12*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>(i) 50% by promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) 50% by limited departmental competitive examination failing which by deputation.</p>	<p>Promotion: Assistant in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>From amongst Assistants in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400), Junior Accounts Officer in Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) Stenographers Grade-C in Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) and Technical Assistants in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade in National Council for Teacher Education.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Secretary (Estt/Admn) National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) One expert of the level of Under Secretary and above serving or retired to be nominated by the Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(4) Under Secretary (Estt./Admn.), National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.

		<p>a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 06 of the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent on regular basis in the parent cadre for five years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing:</p> <p>(i) two years experience in administration or educational administration or finance or legal matters;</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of database management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Private Secretary.	3*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>Stenographers Grade 'C' in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years regular service in the Stenographers grade 'C' in the Level-6 (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing the following qualifications or experience</p> <p>(i) A speed of 100 words per minute in English or Hindi Stenography.</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson;(2)</li> <li>(2) Deputy Secretary (Estt/Admn) National Council for Teacher Education – Member;</li> <li>(3) One expert of the level of Under Secretary and above serving or retired to be nominated by the Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member;</li> <li>(4) Under Secretary (Estt./Admn.), National Council for Teacher Education – Member.</li> </ol>	Not applicable.

		<p>database management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ACCOUNTS OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Accounts Officer.	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation / absorption.	<p>Promotion :</p> <p>Junior Accounts Officer in level 6 in Pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Secretary (Estt/Admn) National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) One expert of the level of Under Secretary and above serving or retired to be nominated by the Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(4) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member.</p>	Not applicable.

		<p>Deputation/Absorption : Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or statutory, Semi Government, Autonomous or other organisations.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or dapartment;</p> <p>(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>(b) Successful completion of training in the Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or equivalent and experience in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p>Note. 1 Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note. 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF COMPUTER PROGRAMMER-CUM-PLANNING AND MONITORING OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Computer Programmer-cum-Planning and Monitoring Officer.	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Composite method (deputation / promotion).	Deputation:  Officers under the Central Government / State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public	Not applicable.	Not applicable.

		<p>Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in the scale of pay of Level – 06 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent on regular basis in the parent cadre for five years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing the following qualifications or experience, namely:-</p> <p>(i) Master’s Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute; or B.E.or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science &amp; Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Three year experience of software development for data-base management, web designing and system management of local area network.</p> <p>The departmental Technical Assistant in Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400) with five years of regular service in the grade will also be considered along with the applicants for deputation and in case he is selected, the post shall be deemed to be filled on promotion.</p> <p>Note -1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--



**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LIBRARIAN-CUM-DOCUMENTATION AND PRODUCTION OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. Librarian-cum-Documentation and Production Officer.	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Not applicable.	30 Years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research or Educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p> <p>(iii) Knowledge of use of information and communication technology such as handling of Library Software for data base management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p>	Not applicable.

						<p>(iv) Knowledge of modern and sophisticated methods of documentation</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority of National Council for Teacher Education (NCTE) in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, NCTE in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe if, any stage of selection, the is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are nit likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for Direct Recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) or equivalent;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) with ten years regular service in Level – 05 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Member Secretary, National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Secretary (Estt/Admn), National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) One expert of the level of Under Secretary and above serving or retired to be nominated by the Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(4) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member.</p>	Not applicable.

		<p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment in Column ( 7).</p> <p>Note -1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note -2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS OFFICER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8. Junior Accounts Officer.	5*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing the date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)</p>	<p>Essential;</p> <p>i). Degree of a recognised University or Institute</p> <p>ii). Twoyears experience in Cash, Account and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body.</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits.	By Direct Recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government.  (a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with ten years regular service in posts in the Level-4 in pay matrix of Rs. 25500 - 81100 ; and (b) Possessing qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-  (1) Deputy Secretary (Estt/Admn), National Council for Teacher Education – Chairperson; (2) One expert of the level of Under Secretary and above serving or retired to be nominated by the Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member; (3) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development-Member.	Not applicable.

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. Assistant	8*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Ministerial	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Selection.	Between 20 and 27 years  (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential:  (1) Bachelor degree from a recognised university (2) Knowledge of working on computer.	No

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for Direct Recruits.	33% by promotion failing which by deputation;  67% by direct recruitment.	Promotion:  Junior Accountant / UDC in National Council for Teacher Education in Level -4 in the Pay matrix (Rs. 25500 – 81100) having ten years regular service in the grade.  Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Deputy Secretary (A), National Council for Teacher Education – Chairperson; (2) Under Secretary (Admn./Estt.), National Council for Teacher Education – Member; (3) One officer to be nominated by the Ministry of Human Resource Development – Member; (4) One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member.	Not applicable.

		<p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 05 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent on regular basis in the parent cadre for six years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) holding posts in Level – 04 of the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent on regular basis in the parent cadre for ten years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing qualifications prescribed for direct recruitment in Column (7).</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary (A), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary (Admn./Estt.), National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) One officer to be nominated by the Ministry of Human Resource Development – Member;</p> <p>(4) One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member.</p>	
--	--	--	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. Technical Assistant.	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Composite method Deputation / Promotion.	<p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 05 in the pay matrix (Rs. 29200 – 92300) or equivalent on regular basis in the parent cadre for five years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 04 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent on regular basis in the parent cadre for ten years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing the following qualifications or experience, namely :-</p> <p>(i) BCA or equivalent Certification of Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC)</p> <p>(ii) Three year experience of hardware and skill of minor repairs of computer system from recognised institute.</p> <p>Note 1: The departmental Data Entry Operator Grade 'A' in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years of regular service in the grade and possessing the above qualifications will also be considered along with the applicants for deputation and in case he is selected, the post shall be deemed to be filled on promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held</p>	Not applicable.	Not applicable.

		<p>immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE 'C'**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Stenographer Grade 'C'.	12 (2020) *Subject to variation. dependent on workload.	Group 'B', Ministerial.	Level – 06 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400),	Selection,	Between 18 to 27 years  (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential  (1) 12 <sup>th</sup> standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (2) A speed of 100 words per minutes in English or Hindi Shorthand.	Age: No ; Qualifications: Yes.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	50% by promotion failing which by deputation ; 50% by direct recruitment.	<p>Promotion:</p> <p>Stenographers Grade 'D' in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p align="center">or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary (A), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary (Admn./Estt.), National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(4) One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p>	Not applicable.

		<p>(ii) holding posts in Level – 05 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent on regular basis in the parent cadre for six years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 04 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent on regular basis in the parent cadre for ten years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) (i) Possessing qualifications prescribed for direct recruits in column (7);</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of database management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p>(1) Deputy Secretary (A), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary (Admn./Estt.), National Council for Teacher Education –Member;</p> <p>(3) Under Secretary Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(4) One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member.</p>	
--	--	---	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE 'D'**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. Stenographer Grade 'D'.	06*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Ministerial.	Level – 04 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Not applicable.	Between 18 to 27 years  (relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential (1) 12 <sup>th</sup> Standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (2) A speed of 80 words per minute in English or Hindi Shorthand.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-----	------	------	------	------



Two years.	<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in posts in the Level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200); and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Member Secretary, National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.
------------	---	-----------------	--	-----------------

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATOR GRADE 'A'**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13. Data Entry Operator Grade 'A'.	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level – 04 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Not applicable.	18 to 25 years (relaxable for Government servants up to 40 year in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) 12th standard pass from a recognised Board / University. (ii) Should possess a speed of not less than 15000 key depression per hour for Data Entry Work.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government.</p> <p>(c) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in posts in the Level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200); and (d) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTANT / UPPER DIVISION CLERK**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14. Junior Accountant / Upper Division Clerk.	5*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Non – Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion</p> <p>Lower Division Clerks in National Council for Teacher Education (NCTE) in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government / State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory, Semi Government, Autonomous or other Organisations .</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) holding posts in Level – 02 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent on regular basis in the parent cadre for eight years in the grade rendered after appointment thereto;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing following qualifications:</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary (A), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary (Admn./Estt.), National Council for Teacher Education – Member;</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(4) One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education - Member.</p>	Not applicable.

		<p>(i) 12<sup>th</sup> standard pass from a recognised Board or University;</p> <p>(ii) knowledge of using information and communication technology such as handling of database management system and use of off-line and on-line electronic resources.</p> <p>Note -1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note -2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note -3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LOWER DIVISION CLERK**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. Lower Division Clerk.	12*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900 - 63200).	Non – Selection.	Between 18 and 27 years  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<u>Essential</u> (1) 12 <sup>th</sup> standard pass or equivalent from a recognised Board or University. (2) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). (3) Knowledge of working on computer.	Age: No;  Educational Qualification: Yes.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits.	66.67 % direct recruitment 33.33 % promotion failing which by direct recruitment.	Promotion  Multi Tasking Staff in National Council for Teacher Education (NCTE) in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900) with	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher	Not applicable.

		<p>three years regular service in the grade, through Limited Departmental Examination.</p> <p>Note. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education - Member.</p> <p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admhn.), National Council for Teacher Education - Member.</p>
--	--	---	---

#### RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. Staff Car Driver	3 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group ‘C’, Non- Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900 - 63200).	Not appli- cable.	<p>Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh and Jammu &amp; Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential</p> <p>(1) Pass in 10<sup>th</sup> standard;</p> <p>(2) Possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(3) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); and</p> <p>(4) Experience of driving a motor car for three years.</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with three years regular service in posts in the Level-1 in pay matrix of Rs. 18000 - 56900; and (b) Possessing qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development, (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. Multi Tasking Staff.	26 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Ministerial.	Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000 - 56900).	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 Years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing the date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal</p>	<u>Essential</u> Matriculation or ITI pass .	Not applicable.

					Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)		
--	--	--	--	--	---	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government.</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis ;</p> <p>(b) Possessing qualification and experience prescribed from direct recruits under Column (7).</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Under Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) – Member;</p> <p>(3) One Officer of the rank of Under Secretary to be nominated by Deputy Secretary (Admn.), National Council for Teacher Education – Member.</p>	Not applicable.

SANJAY AWASTHI, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./460/19]